राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा



प्रबन्ध मण्डल बैठक कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या (23) तेईसवीं

स्थान कुलपति सचिवालय का सभा कक्ष,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,

कोटा

दिनांक 14.03.2015 (शनिवार)

समय प्रातः 11.00 बजे

दिनांक 14.03.2015 सम्पन्न हुई प्रबंध मण्डल बैठक के कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.03.2015 को सम्पन्न हुई प्रबंध मण्डल की बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:—

1. प्रो. एन.एस. व्यास,	अध्यक्ष
2. श्री आबिद खान	सदस्य (प्र.शा.स., वित्त के प्रतिनिधि)
3. प्रो. एन.पी. कौशिक	सदस्य
4. प्रो. राजीव गुप्ता	सदस्य
5. प्रो. अनिल के माथुर	सदस्य
6. श्री आर.पी. त्रिपाठी	सदस्य
7. प्रो. जी.एस. डांगायच	सदस्य
8. डा. जी.डी. अग्रवाल	सदस्य
9. प्रो. एम.एम. शर्मा	सदस्य
10. प्रो. संजीव मिश्रा	सदस्य सचिव
11. प्रो. आर श्रृंगी	विशेष आमंत्रित
12. श्री प्रवीण भण्डारी	विशेष आमंत्रित

श्री प्रवीण गुप्ता, श्री भवानी सिंह राजावत, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री एस.के. सिंह, प्रो. राकेश मोहन जोशी, डा. आशा सिंह, एवं विशेष आमंत्रित श्री गजानन्द सोनी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया।

BoM 23.1 To welcome new members of BoM and appreciate contribution made by out-going members.

BoM welcomes new members.

BoM also appreciates the contributions made by the outgoing members.

The list of current Honourable Members is enclosed for perusal of members (Annexure-23.1.1 Page No. 1 to 2).

Resolution

Honourable Members appreciated the work of outgoing Member Secretary Prof. Dinesh Birla and welcomed the new Member Secretary Prof. Sanjeev Mishra.

प्र.मं0 23.1

प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों की सराहना।

प्रबंध मण्डल के नवीन सदस्यों का स्वागत करते हैं। प्रबंध मण्डल निवर्तमान सदस्यों के कार्यों की सराहना करते हैं। प्रबंध मण्डल के वर्तमान सदस्यों की सूची अवलोकन हेतु संलग्न है। (अनुलग्नक—23.1.1 पृष्ठ संख्या 1 से 2)

संकल्प प्रमबै 23.1

प्रबंध मण्डल के नये सदस्य सचिव प्रो. संजीव मिश्रा का स्वागत किया गया एवं निवर्तमान सदस्य सचिव प्रो. दिनेश बिरला का आभार व्यक्त किया गया ।

BoM 23.2

To consider the minutes of 20th meeting of BOM held on 23.09.2014 and 21st Special Meeting of BOM held on 05.02.2015 and 22nd Special Meeting of BOM held on 27.02.2015.

The 20th meeting of Board of Management was held on 23th September, 2014 (Annexure-23.2.1 Page 3 to 81) and 21st Special Meeting of BOM held on 05.02.2015 (Annexure-23.2.2 Page No. 82 to 86) and 22nd Special Meeting of BOM held on 27.02.2015 (Annexure-23.2.3 page No.87 to 91). Minutes of the meeting were circulated amongst members.

Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 23.2 Members approved the Minutes of the 20th meeting of Board of Management was held on 23th September, 2014, 21st Special Meeting of BOM held on 05.02.2015 and 22nd Special Meeting of BOM held on 27.02.2015.

प्र.मं० 23.2

20वीं प्रबंध मण्डल दिनांक 23.09.2014, 21वीं प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05.02.2015 एवं 22वीं प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 27.02.2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक 23.9.2014 (अनुलग्नक—23.2.1 पृष्ठ संख्या 3—81), 21वीं विशेष बैठक दिनांक 5.2.2015 (अनुलग्नक—23. 2.2पृष्ठ संख्या 82 से 86) एवं 22वीं विशेष बैठक दिनांक 27.2.2015 (अनुलग्नक—23.2.3 पृष्ठ संख्या 87 से 91) को आयोजित की गयी।

बैठकों का कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों को वितरित किया गया। कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

माननीय सदस्यों से कार्यवाही विवरण को अनुमोदन करने का अनुरोध है।

संकल्प प्रमबै 23.2

माननीय सदस्यों द्वारा प्रबंध मण्डल की 20वीं बैठक 23.9.2014, 21वीं विशेष बैठक दिनांक 5.2.2015 एवं 22वीं विशेष बैठक दिनांक 27.2.2015 उक्त बैठकों की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया ।

BoM 23.3 To consider action taken report on the approved minutes of 20th meeting of BOM held on 23.09.2014, 21st Special Meeting dated 05.02.2015 and 22nd Special Meeting dated 27.02.2015

A consolidated report on the action taken on resolutions

adopted by the Board of Management in its 20th, 21st & 22nd meeting is submitted for perusal and approval as under.

Action Taken Report of 20th BoM Meeting

S. No.	Particular	Action taken
BoM 20.1	To welcome new members of BOM and to appreciate the	No action required
	contribution made by out-going members	
BoM 20.2	To consider the minutes of 18 th meeting of BoM held on	No action required
	7.09.2013 and 19 th Special Meeting of BoM held on	
	20.02.2014.	

D 14202	T 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NT / 1
BoM 20.3	To consider action taken report of the approved minutes of	No action required
	the 20 th Meeting of Board of Management held on	
	23.09.2014, & 19 th Special Meeting of Board of	
D 1420.4	Management meetings held on 20.02.2014.	TTI
BoM 20.4	To consider the Minutes of the 15 th meeting of the	The action taken report
	Academic Council held on 31.07.2014	shall be presented
		through Academic
		Council
BoM 20.5	To consider the Minutes of the 11th meeting of the Finance	The action taken report
	Committee held on 19.2.2013 & 12th meeting of the	shall be presented
	Finance Committee held on 28.06.2014	through Finance
		Committee
BoM 20.6	To approve the draft of Annual Report 2013-14 of the	Letter sent to Govt. vide
	University.	no. 21895 dated
		10.02.2015 (Annexure
		23.3.1.1 Page No.92)
BoM 20.7	To consider AICTE norms issued vide Gazette Notification	letter sent to Govt. vide
	dated 8th Nov. 2012 recommending Performance Based	no. 18255 dated 30.12.14
	Appraisal System (PBAS) and Academic Performance	(Annexure 23.3.1.2
	Indicators for promotion of teachers under Career	Page No.93)
	Advancement Scheme (CAS)	
D M 20 0	` ′	1
BoM 20.8	To consider promotion of teachers under CAS in V pay	letter sent to Govt. vide
	scale.	no. 18255 dated 30.12.14
		(Annexure 23.3.1.2
D 1420 0	The state of the s	Page No.93)
BoM 20.9	To consider detention leave (CCL) to probationer teachers	letter sent to Govt. vide
	detained during summer vacation in the University.	no. 18255 dated 30.12.14
		(Annexure 23.3.1.3
DaM 20 10	To consider and annuave intermetional travel of feaulty	Page No. 94)
BoM 20.10	To consider and approve international travel of faculty	Letter sent to Govt. vide
	members for presenting research papers in the international	no. 23268 dated 26.2.15
	conferences under TEQIP-II.	(Annexure 23.3.1.4
D-M-20-11	T	Page No. 95)
BoM 20.11	To approve granting of notional increment(s) for lien	Office order for
	period to faculty members for taking employment	committee issued vide
	elsewhere.	no. 23395-401 dated
		27.2.15 (Annexure
DoM 20 12	To avoying the provious parelty improved year Chail D. V.	23.3.1.5 Page No.96)
BoM 20.12	To expunge the previous penalty imposed upon Shri R.K.	Action Taken is under
	Banyal, Associate Professor, Department of Computer	process
	Engineering, UCE, Under rule 17 CCA.	
BoM 20.13	To approve establishment of Skill Development Centre at	Office order issued vide
DOM 20.13		no. 22273-96 dated
	Kota and Jaipur.	
		`
BoM 20.14	To approve Travel Grant guidelines for RTU Employees.	23.3.1.6 Page No.97)
DOM 20.14	To approve Traver Grain guidennes for KTO Employees.	Matter is to be placed
		before FC

BoM 20.15	To approve the õUniversity Guidelines for Studentsø Welfareö in the interest of studentsø welfare	Office order issued vide no. 23409-13 dated 27.02.15 (Annexure 23.3.1.7 Page No.98)
BoM 20.16	दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त विश्वविद्यालय के	Detailed proposal for
	कार्मिकों को पेंशन योजना स्वीकृत करने के संबंध में।	consideration of the State
		Govt. is under
BoM 20.17	Establishment of Dean, Planning, Resource generation &	preparation Office order issued vide
BOW 20.17	Management at RTU.	no. 23354-94 dated
	Wanagement at KTO.	27.02.15 (Annexure
		23.3.1.8 Page No.99)
BoM 20.18	To consider creation of the post of Teaching and Non	Letter sent to Govt. vide
	Teaching in the University Departments/Centers as per	no. 18471 dated 5.1.15
	AICTE norms.	(Annexure 23.3.1.9
		Page 100-101) Letter received from Govt. vide
		dated 23.02.15
		(Annexure 23.3.1.10
		Page No 102)
BoM 20.19	To consider various provisions of RSR	Office order issued vide
		no. 22062-98 dated
		12.02.15 (Annexure
D M 20 20		23.3.1.11 Page No 103)
BoM 20.20	To consider increase in ceiling limit for examination work.	Matter is to be placed before FC
BoM 20.21	To grant approval for the Rajasthan Technical University	Matter is to be placed
BOW 20.21	Research Grant Scheme (RTURGS)	before FC
BoM 20.22	To grant approval for the Rajasthan Technical University	Matter is to be placed
	Seminar Grant Scheme (RTUSGS).	before FC
BoM 20.23	To grant approval for the Rajasthan Technical University	Matter is to be placed
	Travel Grant Scheme (RTUTGS).	before FC
BoM 20.24	To consider the issuance of office-orders under section	No action required,
	12(6) of RTU Act to make amendments in Rajasthan Technical University Ordinances and Regulations of	office order issued in thios regard was placed
	Degree of Doctor of Philosophy.	in 20 th BoM and got
	Degree of Doctor of I miosophy.	approved.
BoM 20.25	To provide relaxation in probation period & full pay scale	Office order issued vide
	to probationers of RTU.	no. 18823-28 dated
		12.01.15 (Annexure
D 142225		23.3.1.12 Page No.104)
BoM 20.26	To remove the perquisite charges from the employees	Letter sent to UOR vide
	residing in the campus.	no. 23267 dated 26.02.15 (Annexure 23.3.1.13
		(Annexure 23.3.1.13 Page No. 105)
BoM 20.27	To consider the recommendations of the selection	Appointment Orders
	committees for the selection of Assistant Professors,	issued except Professor
	Associate Professor, Professors in various departments viz.	in Computer Science &
	Mechanical, Petroleum, Electronics & Communication,	Eng. and Asstt. Prof. in
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	l

	Computer, Electronics Inst. & Control, Nano Technology, Aeronautical Engineering, Mathematics and Assistant Registrar, Deputy Registrar and Estate Officer.	EIC has issued vide no 15024-32, 15042-50,15060-68, 15069-77, 15033-41, 15051-59, 14934-42, 14907-15 14898-906, 14961-69, 14970-78, 14916-24, 14925-33, 14943-51, 14952-60, 14988-96, 15015-23, 15006-14, 14997-15005, 14979-87 dated 15-10-2014 (Annexure 23.3.1.14 Page No. 106 to 145)
BOM	दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमन के संबंध में।	Office order issued vide
T.20.1		no. 22127-37 dated
		13.02.15 (Annexure
		23.3.1.15 page 146 to
BOM	To Consider the promotion of the employees of RTU who	Matter was approved by
T.20.2	have more than two children	the members in the 20 th
		BOM meeting but one of the members has raised certain issue later on through letter. Matter along with the letter is presented for discussion again in 23 rd BOM meeting for kind consideration of the members.
BoM R	To report the additional duties of Dean (SW)	Noted by members
20.1		
BoM R	1	Noted by members
20.2	Kumar Bhargava, Advocate of Hon'ble High Court, Jaipur.	
BoM R	1	Noted by members
20.3	Committees of the University College of Engineering and	
	other for the university.	

Action Taken Report on 21st BOM Meeting

Item No.	Particulars	Action taken
ВоМ 21.1	To Consider honouring Padma Bhushan Dr. V. K. Sarswat by awarding Degree of Honoris Causa.	Approved
ВоМ 21.2	To Consider honouring Padma Shri Prof. Ashok Jhunjunjwala by awarding Degree of Honoris Causa.	Approved

BoM 21.3 (S)	To consider the format of Ph. D. degree	Approved

Action Taken Report on 22nd BOM Meeting

Item No.	Particulars	Action taken
BoM 22.1	To consider awarding degree to the students who qualified their programme of study in B.Tech, B. Arch, BHMCT, MBA, MCA & M. Tech., Ph. D. in the year 2013-2014.	Approved

Resolution 23.3 Hon'ble members perused the 20th BoM action taken report agenda item no. BOM T.20.2 and observe that matter will be sent to State Govt. for further direction and action will be taken accordingly. Rest of action taken reports were approved.

प्र.मं. 23.3

20वीं प्रबंध मण्डल दिनांक 23.9.2014, 21वीं विशेष बैठक दिनांक 05.2.2015 एवं 22वीं विशेष बैठक दिनांक 27.02.2015 के अनुमोदित कार्यवाही विवरण के अनुसार की गयी कार्यवाही पर विचार।

प्रबंध मण्डल की 20वीं, 21वीं एवं 22वीं बैठक में लिए गये संकल्पों के अनुसार की गयी कार्यवाही का समग्र विवरण नीचे दी गयी सूचियों में दर्शाया गया है। यह विवरण माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

Members are requested to approve the above action taken report.

20 वीं प्रबंध मण्डल में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट

क्रम सं.	विवरण	पालना रिपोर्ट
प्र.मं० 20.1	प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निर्गत सदस्यों द्वारा	कोई कार्यवाही अपेक्षित
	किये गये कार्यों की सराहना।	नहीं है।
प्र.मं० 20.2	18 वीं प्रबंध मण्डल दिनांक 7.9.2013 एवं 19वीं विशेष बैठक	कोई कार्यवाही अपेक्षित
	दिनांक 20.2.2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	नहीं है।
प्र.मं० 20.3	18 वीं प्रबंध मण्डल दिनांक 7.9.2013 एवं 19वीं विशेष बैठक	कोई कार्यवाही अपेक्षित
	दिनांक 20.2.2014 में लिये गये संकल्पों की पालना रिपोर्ट।	नहीं है।
प्र.मं० 20.4	15वीं विद्या परिषद दिनांक 31.7.2014 के कार्यवाही विवरण का	पालना रिपोर्ट आगामी
	अनुमोदन।	विद्यापरिषद के माध्यम से
		प्रस्तुत की जावेगी।
ਸ਼.ਸਂ0 20.5	11वीं वित्त समिति दिनांक 19.2.2013, 12वीं वित्त समिति दिनांक	पालना रिपोर्ट आगामी

	28.6.2014 एवं वित्तीय रिपोर्ट / बजट नोट	वित समिति के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।
у. н о 20.6	वर्ष 2013—14 के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन	पत्र संख्या 2195 दिनांक 10.2.15 द्वारा सरकार को लिखा गया (अनुलग्नक 23.3.1.1 पृष्ठ संख्या 92)
у.но 20.7	शिक्षकों की केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत पदोन्नति के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 8.11.2012 को जारी Performance Based Appraisal System (PBAS) and Academic Performance Indicator संबंधी प्रावधानों का अवलोकन एवं अनुमोदन।	पत्र संख्या 18255 दिनांक 30.12.14 द्वारा सरकार को लिखा गया (अनुलग्नक 23.3.1.2 पृष्ठ संख्या 93)
у.но 20.8	पांचवे वेतन आयोग के अनुरूप शिक्षकों की केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति पर विचार एवं अनुमोदन।	पत्र संख्या 18255 दिनांक 30.12.14 द्वारा सरकार को लिखा गया (अनुलग्नक 23.3.1.2 पृष्ठ संख्या 93)
я. н о 20.9	परीवीक्षा काल के अधीन शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के दौरान कार्य के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश दिये जाने के संबंध में।	समिति के कार्यालय आदेश संख्या 17932–53 दिनांक 23.12.14 जारी किया गया। (अनुलग्नक 23.3.1.3 पृष्ठ संख्या 94)
у.но 20.10	TEQIP-II के प्रावधानों के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार, संगोष्ठी में शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु शिक्षकों द्वारा की गयी विदेश यात्राओं का अनुमोदन।	पत्र संख्या 23268 दिनांक 26.2.15 द्वारा सरकार को लिखा गया (अनुलग्नक 23.3.1.4 पृष्ठ संख्या 95)
ў. н о 20.11	शिक्षकों द्वारा पुनर्ग्रहण अधिकार (Lien) अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के बाहर अन्य संस्थान का सेवाकाल के लिए उस अविध की काल्पनिक वेतनवृद्धि के संबंध में।	कार्यालय आदेश संख्या 23395—401 दिनांक 27.2. 15 जारी किया गया। (अनुलग्नक 23.3.1.5 पृष्ठ संख्या 96)
प्र.मं० 20.12	राजस्थान सेवा नियम 17 सीसीए के तहत श्री आर.के.बॉयल, सह आचार्य, कम्प्यूटर इंजी. विभाग पर लगायी गयी शास्ति निरस्त करने के संबंध में।	प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
ў. н о 20.13	कोटा एवं जयपुर में दक्षता विकास केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में।	कार्यालय आदेश संख्या 22273—96 दिनांक 18.2. 15 जारी किया गया। (अनुलग्नक 23.3.1.6 पृष्ठ संख्या 97)
प्र.मं0 20.14	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए यात्रा अनुदान के लिये दिशा निर्देश	प्रकरण आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाना है।
я. н о 20.15	छात्र कल्याण के लिये ''विश्वविद्यालय छात्र कल्याण दिशा निर्देश'' के संबंध में	कार्यालय आदेश संख्या 23409–13 दिनांक 27.2. 15 जारी किया गया।

		(अनुलग्नक 23.3.1.7 पृष्ठ संख्या 98)
प्र.मं० 20.16	दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त विश्वविद्यालय के कार्मिकों को पेंशन योजना स्वीकृत करने के संबंध में।	राज्य सरकार को भिजवाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
प्र.मं0 20.17	विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता योजना, संसाधन निर्माण एवं प्रबंधन का पद स्थापित किये जाने के संबंध में	कार्यालय आदेश संख्या 23354—94 दिनांक 27.2. 15 जारी किया गया। (अनुलग्नक 23.3.1.8 पृष्ठ संख्या 99)
я. й 0 20.18	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का सृजन	पत्र सख्या 18471 दिनांक 5.1.15 राज्य सरकार को लिखा गया। (अनुलग्नक 23.3.1.9 पृष्ठ संख्या 100–101) राज्य सरकार का पत्र संख्या दिनांक 23.2.15 (अनुलग्नक 23.3.1.10 पृष्ठ संख्या 102)
у. но 20.19	राजस्थान सेवा नियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुसरण।	कार्यालय आदेश संख्या 22062—98 दिनांक 12.2. 15 जारी किया गया। (अनुलग्नक 23.3.1.11 पृष्ठ संख्या 103)
у .मं0 20.20	परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए किये जाने वाले भुगतान की सीमा बढ़ाने के संबंध में	प्रकरण आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाना है।
प्र.मं0 20.21	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय शोध अनुदान योजना का अनुमोदन	प्रकरण आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाना है।
प्र.मं0 20.22	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय संगोष्ठी अनुदान योजना का अनुमोदन	प्रकरण आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाना है।
у .मं0 20.23	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यात्रा अनुदान योजना का अनुमोदन	प्रकरण आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाना है।
у .но 20.24	अनुच्छेद 12(6) के अंतर्गत पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में संशोधन के संबंध में प्रसारित कार्यालय आदेशों का अनुमोदन	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है, इस संदर्भ में जारी आदेशो का अनुमोदन 20वीं प्रबंध मण्डल की बैठक में हो चुका है।
у. н о 20.25	विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को परीवीक्षा काल में शिथिलता एवं पूर्ण वेतनमान दिये जाने के संबंध में।	कार्यालय आदेश संख्या 18823–28 दिनांक 12.01. 15 जारी किया गया। (अनुलग्नक 23.3.1.12 पृष्ठ संख्या 104)

प्र.मं० 20.26	विश्वविद्यालय परिसर में निवास कर रहे कार्मिकों पर परिलब्धि	राज. विश्वविद्यालय,
y. 10 20.20	(Perquisite) हटाने के संबंध में ।	जयपुर को पत्र संख्या
	(i ciquisite) ect if an italia if	23267 दिनांक 26.02.15
		लिखा गय (अनुलग्नक 23.
		. Ο
		3.1.13 पृष्ठ संख्या 105)
प्र.मं० 20.27	विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति हेतु आयोजित साक्षात्कार के	प्रोफेसर, कम्प्यूटर साईंस
	उपरांत चयन समिति की सिफारिशों के अनुरूप नियुक्ति प्रदान	एन्ड इंजी. एवं सहायक
	किये जाने के संबंध में।	प्रोफेसर, इले. इंस्ट्रू. एन्ड
		कंट्रोल के अतिरिक्त सभी
		पदो के लिए नियुक्ति पत्र
		संख्या 15024-32,
		15042-50, 15060-68,
		15069-77, 15033-41,
		15051-59, 14934-42,
		14907-15, 14898-906,
		14961-69, 14970-78,
		14916-24, 14925-33,
		14943-51, 14952-60,
		14988-96, 15015-23,
		15006-14, 14997-
		15005, 14979-87 dated
		15-10-2014 (अनुलग्नक
		23.3.1.14 पृष्ठ संख्या 106
		से 145) जारी किये जा
\ \ \	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	चुके है।
· ·	दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमन के संबंध में।	कार्यालय आदेश संख्या
20.1		22127—37 दिनांक 13.02.
		, 15 जारी किया गया
		(अनुलग्नक 23.3.1.15 पृष्ठ
		संख्या १४७ से १४७)
टेबल एजेंडा टी	दो से अधिक संतान वाले विश्वविद्यालय कार्मिकों को पदोन्नति	प्रकरण माननीय सदस्यो
20.2	देने हेतु	द्वारा 20वीं बैठक में
		अनुमोदित कर दिया गया
		था। परन्तु मण्डल के एक
		माननीय सदस्य द्वारा इस
		बिन्दू पर आपत्ति दर्ज
		करने के कारण 23वीं
		मण्डल की बैठक में
		आपितत पत्र पर चर्चा कर
		प्रकरण पर अनुमोदन
		किया जाना प्रस्तावित है।
		13/31 VII II AVIIIMVI ()

21 वीं विशेष प्रबंध मण्डल में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट

क्रम सं.	विवरण	पालना रिपोर्ट	
प्र.मं० २१.१	विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षान्त समारोह में	माननीय राज्यपाल एवं	
(विशेष)	मुख्य अतिथि, पद्म भूषण डॉ. वी.के.	कुलाधिपति द्वारा दिनांक 28.2.	
	सारस्वत को डी.लिट की मानद उपाधि	2015 को आयोजित दीक्षांत	
	प्रदान किये जाने के संबंध में	समारोह में उपाधि प्रदान कर	
		दी।	
प्र.मं० 21.2	विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षान्त समारोह में	माननीय राज्यपाल एवं	
(विशेष)	विशिष्ठ अतिथि, पद्मश्री डॉ. अशोक	कुलाधिपति द्वारा दिनांक 28.2.	
	झुनझुनवाला को डी.लिट की मानद उपाधि	2015 को आयोजित दीक्षांत	
	प्रदान किये जाने के संबंध में	समारोह में उपाधि प्रदान कर	
		दी।	
प्र.मं० 21.3	विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली	अनुमोदित	
(विशेष)	डॉक्ट्रेट की उपाधि के प्रारूप का		
	अनुमोदन		

22 वीं विशेष प्रबंध मण्डल में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट

क्रम सं.	विवरण	पालना रिपोर्ट
प्र.मं० 22.1	वर्ष 2013–14 के दौरान B.Tech, B. Arch, BHMCT, MBA,	अनुमोदित एवं
(विशेष)	MCA & M. Tech., Ph. D. के लिए आवश्यक अर्हताऐं पूर्ण करने वाले छात्रों को पंचम दीक्षान्त समारोह में उपाधि प्रदान किये जाने के संबंध में।	28 / 02 / 2015 कर दी।

पालना रिपोर्ट माननीय सदस्यों को अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प प्रमबै 23.3 माननीय सदस्यों द्वारा प्रबंध मण्डल की 20वी बैठक की पालना रिपोर्ट के बिन्दु संख्या टेबल एजेंडा टी 20.2 पर प्राप्त आपत्ति का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण पर राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। शेष पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं तत्सम्बन्धी पालना कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

BoM 23.4 To consider the Minutes of the 18th Special meeting of the Academic Council to be held on 14.03.2015

The meeting of the 18th Academic council to be held on 14.3.2015.

The minutes of the meeting shall be placed before the BoM i.e. on 14.03.2015.

Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 23.4 Members approved the minutes of 18th Special meeting of Academic Council held on 14.03.2015.

प्र.मं. 23.4 विद्या परिषद की 18वी विशेष बैठक दिनांक **14.03.2015** की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 18वीं विशेष बैठक दिनांक 14.03.2015 को आयोजित की जावेगी।

बैठक का कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रबंध मण्डल की बैठक वाले दिन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

माननीय सदस्यों से कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का अनुरोध है।

संकल्प प्रमबै 23.4 माननीय सदस्यों द्वारा दिनांक 14.03.2015 को हुई विद्या परिषद की 18वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया ।

BoM 23.5 To consider AICTE norms issued vide Gazette Notification dated 8th Nov. 2012 and approved by State Govt. recommending Performance Based Appraisal System (PBAS) and Academic Performance Indicators for promotion of teachers under Career Advancement Scheme (CAS).

AICTE has issued Gazette Notification dated 8th November, 2012 for promotion of teachers under CAS in VI pay scale. Subsequently State Govt. issued Office Order approving it for implementation of Performance Based Appraisal System

(PBAS) and Academic Performance Indicators (API) for the promotion of teachers under CAS.

As per the State Govt. order mentioned above, it is proposed to implement the CAS scheme in VI pay scale effective from 08-11-2012, however the CAS scheme in V pay scale remain effective till 07-11-2012 (Annexure 23.5.1 Page No. 148).

Members are requested to kindly approve the same.

Resolution 23.5 It was resolved that the VI Pay CAS scheme as per AICTE Gazette notification dated 8th Nov.2012 and subsequent order of State Govt. may be implemented from 8-11-2012 in toto. For the period till this date, the implementation of V pay scale shall be made after receiving the approval from state government in the specific matter.

प्र.मं. 23.5

शिक्षकों की केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत पदोन्नित के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 8.11.2012 को जारी तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित Performance Based Appraisal System (PBAS) and Academic Performance Indicators संबंधी प्रावधानों का अवलोकन एवं अनुमोदन।

शिक्षकों की केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत पदोन्नति के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 8.11.2012 को Performance Based Appraisal System (PBAS) and Academic Performance Indicators संबंधी प्रावधान जारी किये गये थे। जिन्हें कि राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नोटीफिकेशन तथा राज्य सरकार के आदेश के अनुसार छठे वेतन आयोग की प्रमोशन की केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम का लाभ दिनांक 08.11.2012 से दिया जाना प्रस्तावित है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पांचवे वेतन आयोग की प्रमोशन की केरियर एडवांसमेन्ट स्कीम दिनांक 07.11.2012 तक प्रभावी रहेगी (अनुलग्नक 23.5.1 पृष्ठ 148)।

प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय 23.5

माननीय सदस्यों द्वारा निर्णय किया गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 8 नवम्बर, 2012 के तहत छठे वेतन के अनुसार समग्र रूप से सी.ए.एस. क्रियान्वित कर दिया जावे तथा पांचवे वेतन के तहत अर्थात 7 नवम्बर 2012 तक की कालावधि के लाभ के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

BoM 23.6

To consider the recommendations of the selection committees for the selection of Professor in Computer Science and Engineering and Assistant Professor in Electronics Inst. & Control.

In response to the advertisement No.F(4)Advt.-1/2014/10162 dated 19.7.2014 No.F(4)Advt.-1/2014/10163 dated 19.7.2014, the Selection Committees recommendations for the Post of Assistant Professors, Associate Professor, Professor and Assistant Registrar, Deputy Registrar and Estate Officer in the subjects mentioned above are placed for the perusal & consideration of the Board Members and approval.

The item was placed in the 20th BoM and appointment orders have been issued except Professor in Computer Science and Engineering and Assistant Professor in EIC.

For the post of Professor in Computer Science and Engineering the eligibility of the selected candidate was referred to AICTE vide letter no. RTU/F(2)2/2014/15183 dated 17.10.2014 (copy enclosed). In response to this, AICTE vide its letter dated 14.11.2014, has informed that the recommendation of the selection committee is to be treated as finalø (Annexure 23.6.1 Page No. 149 to 152).

For the post of Assistant Professor in EIC, a committee was constituted to ascertain the compliance of reservation norms for Differently Abled Persons vide office order no. F(4)/Advt.1/Estt./2014/16161-65 dated 14.11.2014 (copy enclosed). The committee has not found any violation of reservation Differently Abled Persons and concluded that the selection is as per rules and norms.

Members are requested to kindly consider and approve the above two selections of Professor, Computer Science & Engg. and Assistant Professor in EIC (Annexure 23.6.2 Page No. 153 to 157).

Resolution 23.6 It was unanimously resolved by the hob'ble members to authorise Hon'ble Vice Chancellor to refer the matter of two selections of Professor, Computer Science & Engg. and Assistant Professor in EIC to Ho'ble Governor & Chancellor of the University at the earliest.

प्र.मं. 23.6

प्रोफेसर, कम्प्यूटर साईंस एन्ड इंजीनियरिंग एवं सहायक प्रोफेसर, इलैक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेन्टेशन एन्ड कंट्रोल की नियुक्ति हेतु चयन समिति की सिफारिशों का अनुमोदन।

विज्ञापन संख्या एफ(4)विज्ञा.1/2014/10162 दिनांक 19.7.2014 एवं एफ(4)विज्ञा.1/2014/10163 दिनांक 19.7.2014 के अनुसरण में विभिन्न पदो के लिए आयोजित साक्षात्कारों के उपरांत चयन समितियों की सिफारिशों को 20 वीं प्रबंध मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया था। उक्त निर्णय के अनुसार प्रोफेसर, कम्प्यूटर साईंस एन्ड इंजीनियरिंग एवं सहायक प्रोफेसर, इलैक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेन्टेशन एन्ड कंट्रोल के अलावा अन्य सभी पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके है।

माननीय सदस्यों द्वारा प्रोफेसर, कम्प्यूटर साईंस एन्ड इंजीनियरिंग के पद पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक अर्हताएं पूर्ण किये जाने की समीक्षा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किये जाने का सुझाव दिया गया। उक्त सुझावों के आधार पर यह प्रकरण पत्र कमांक आरटीयू/एफ(2)/2/2014/15183 दिनांक 17.10.2014 के द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रेषित किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा पत्र दिनांक 14.11.

2014 से यह सूचित किया है कि ''चयन समिति की अनुशंसा ही अंतिम मानी जावे''। (अनुलग्नक 23.6.1 पृष्ठ संख्या 149 से 152)

इसी प्रकार सहायक प्रोफेसर, इलैक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेन्टेशन एन्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग के पद पर चयन में विशेष योग्यजन के लिए आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण एक समिति द्वारा परीक्षण करवाने हेतु सुझाव दिया गया। इस संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ(4)विज्ञा.1/स्था0/2014/16161—65 दिनांक 14.11.2014 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने सहायक प्रोफेसर, इलैक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेन्टेशन एन्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग के पद पर चयन में विशेष योग्यजन के लिए आरक्षण प्रावधानों की अवहेलना होना नहीं पाया गया एवं यह निष्कर्ष दिया कि चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया चयन नियमानुसार है। (अनुलग्नक 23.6.2 पृष्ट संख्या 153 से 157)

प्रकरण माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

माननीय सदस्यों से प्रकरण के अवलोकन उपरांत उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों प्रोफेसर, कम्प्यूटर साईंस एन्ड इंजीनियरिंग तथा सहायक प्रोफेसर, इलेक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेन्टेशन एन्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग के नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के संबंध में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प प्रमबै 23.6

माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मित से यह निर्णय लिया गया कि प्रोफेसर, कम्प्यूटर साईंस एन्ड इंजीनियरिंग एवं सहायक प्रोफेसर, इलैक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रूमेन्टेशन एन्ड कंट्रोल की नियुक्तियों के प्रकरण पर माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माननीय कुलपित महोदय को अधिकृत किया जाता है।

BoM 23.7 To appoint retired technical education teachers as emeritus professor for two years as per AICTE/UGC norms.

There is acute shortage of experienced teachers of technical education in the state. To take the benefit of knowledge and experience of retired teachers of technical education, it is proposed to appoint emeritus professor as per the AICTE and UGC norms for two year duration.

Members are requested to kindly consider and approve.

Resolution 23.7 In view of acute shortage of qualified faculty, the appointment of retired faculty may be made. However for remuneration, the matter may be placed through finance committee

प्र.मं. 23.7

राज्य में तकनीकी संस्थाओं में अनुभवी शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त होने वाले प्राध्यापकों को पुनः दो वर्ष के लिए ए.आई.सी.टी.ई. / यू.जी.सी. के नियमानुसार नियुक्ति देने के संबंध में प्रस्ताव माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प प्रमबै 23.7

अनुभवी शिक्षकों व्यापक कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त होने वाले प्राध्यापकों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। इस पर देय मानदेय निर्धारण के लिए प्रकरण वित्त समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा।

BoM 23.8 To issue appointment letter to waitlisted candidates on the recently filled posts where selected candidates do not join or have resigned.

In pursuance of the decision 20.7 of the BOM dated 23-09-2014; appointment letters were issued to the selected candidates. Some candidates did not join and some had left after joining. It is proposed to issue appointment letter to wait listed candidates on the posts as mentioned above.

Members are requested to kindly consider and approve

- Resolution 23.8 (a) It was resolved that in case of the resignation of newly joined employees, the post shall be teated as vacant and shall not be filled with wait-listed candidates.
 - (b) It was resolved by the members to issue the appointment orders to the waitlisted candidates from the Selection Panel, in cases where the selected candidate did not join on the post. It was also resolved to issue the appointment orders immediately.

प्र.मं. 23.8

प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने बाबत्। जहां पर कि चयनित अभ्यर्थियों ने सेवाओं में उपस्थिति दर्ज नहीं करवायी है अथवा अभ्यार्थी छोडकर चले गये।

दिनांक 23.09.2014 को हुई प्रबंध मण्डल की बैठक के निर्णय 20.7 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये थे, परन्तु कुछ पदों पर चयनित अभ्यर्थी सेवा में उपस्थित नहीं हुए तथा कुछ पदों पर त्याग पत्र देकर चले गये। इस तरह के पदों पर प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी करना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प प्रमबै 23.8

- (अ) माननीय सदस्यों द्वारा यह निर्णय किया गया कि नये अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद को रिक्त पद माना जावेगा तथा उक्त पद को चयनित पेनल की प्रतीक्षा सूची में से नहीं भरा जावे।
- (ब) माननीय सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पद भार ग्रहण नहीं करने की दशा में चयनित पेनल की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये जावे। मण्डल द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी कर दिये जावे।

(प्रो. एन.एस. व्यास) अध्यक्ष (प्रो. संजीव मिश्रा) सदस्य सचिव